सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 130 दर्ज तिथिः–12.12.2024

1. नजमा पुत्री स्व. सफी मोहम्मद पत्नी युनस जाति चेजारा निवासी चूरू हाल ससुराल वार्ड संख्या 04, भुवालका की कोठी, रतनगढ़ तहसील रतनगढ़ जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

–प्रतिवादी–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री दीपक कुमार
प्रतिवादीगणः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

निर्णय

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा–88, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 425 तादादी 0.3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 432 तादादी 5.3115 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 5.6909 हैक्टेयर, रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है, जिसके वर्तमान खाता संख्या 452 है तथा पुराने खाता संख्या 387 है, जिसमें वादीया का 1 / 6 हिस्सा है। जिसके खातेदार वादीया के पिता सफी मोहम्मद थे, जिनके फौत होने पर उनका विरातसन इंतकाल नामान्तकरण संख्या 1557 दिनांक 01.03.2004 को दर्ज हुआ है। वादीया का नाम जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में कंम संख्या 03 पर मदीना बानो अंकित है।
2. वादीया का निकाह 40–42 वर्ष पूर्व हो गया था, उसके पश्चात वादीया अपने ससुराल रतनगढ रहने लगी, वादीया की जानकारी के अभाव में विरासतन इंतकाल में वादीया का नाम नजमा की जगह घरेलु बोलचाल का नाम मदीना बानो त्रुटीवश दर्ज करवा दिया गया, जबकि निकाह के बाद वादीया के ससुरालवालों ने सभी दस्तावेजात में सही नाम नजमा अंकित करवाया दिया। वादीया का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम नजमा है, लेकिन निकाह से पूर्व परिवार में स्नेह व प्यार की वजह से वादीया को मदीना नाम से पुकारा जाता था। इस कारण बिना वादीया से पुछताछ किये व दस्तावेज [illegible] बोलचाल का नाम मदीना बानो पुत्री सफी मोहम्मद अंकित कर दि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

3. राजस्व रिकार्ड में वादीया नजमा का वास्तविक नाम की जगह मदीना बानो अंकित है और ये एक ही महिला के नाम है, जिसका नाम अशुद्ध हो गया है, जिसे संशोधित करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।
4. राजस्व रिकार्ड में नाम में त्रुटी होने से वादीया को काफी हैरानी परेशानी हो रही है तथा अन्य सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि में उसका सही नाम नजमा है। नाम में त्रुटी होने की वजह से वादीया को सरकारी व गैरसरकारी योजनाएं लेने में काफी परेशानी हो रही है ना ही क्लेम आदि मिल पा रहा है व वादीया ने नाम संशोधन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया, तो हल्का पटवारी ने तहसीलदार से नाम शुद्ध करवाने बाबत कहा, तो वादीया ने तहसीलदार महोदय, चूरू से निवेदन किया पर तहसीलदार महोदय ने उक्त दावा नामा संशोधन बाबत अदालतवाला में करने का कहने पर दिनांक 18. 11.2024 को वादाधार प्राप्त हुआ व वादगत रकबा ग्राम चूरू तहसील व जिला चूरू में अदालतवाला के सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में है।
5. नाम संशोधन से किसी भी अन्य पक्षकार को कोई क्षति होने का कोई अंदेशा नहीं है, एवं न्यायहित में इसे दुरूस्त किया जा सकता है तथा इस सम्बंध में प्रतिवादी को मौखिक रूप से दस्तावेजात देकर नाम में संशोधन करने बाबत निवेदन किया, तो उन्होने नाम में संशोधन नहीं करने व श्रीमानजी के यहां दावा करने की कहने पर वाद कारण हासिल हुआ है। वादीया उक्त कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार होने से उसे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।
6. वादगत भूमि रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में स्थित है जिसके सम्बंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वादीया का दावा स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 425 तादादी 0. 3794 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 432 तादादी 5.3115 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 5.6909 हैक्टेयर, रोही चूरू तहसील व जिला चूरू में खातेदार मदीना बानो पुत्री सफी मोहम्मद की जगह नजमा पुत्री सफी मोहम्मद संशोधित किये जाने का आदेश व डिकी बहक वादीया जारी फरमायी जावें व प्रतिवादी को आदेश फरमाया जावे कि डिकी अनुसार अमल दरामद राजस्व रिकार्ड कराया जावें व अन्य अनुतोष हितकर वादीया हो या हो जावे, वो भी वादीया को प्रदान फरमाया जावें। श्रीमानजी की बडी कृपा होगी।

7. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार राज ने उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया कि उक्त अशुद्धि बन्दोबस्त पश्चात की है। उक्त अशुद्धि खातेदार के नाम से संबंधित त्रुटि है। उक्त अशुद्धि लिपिकीय नहीं है। साबिक रिकॉर्ड की जांच में पाया गया है कि वादी नजमा के पिता सफी मोहम्मद पुत्र कमरूदीन जाति मुसलमान चेजारा की मृत्यु बाद वारिसान नामा. सं. 1557 दिनांक 01.03.2003 द्वारा वादी नजमा का नाम मदीना बानो पुत्री सफी मोहम्मद दर्ज हुआ था। नजमा का नाम ही तत्समय मदीना बानो दर्ज हुआ, इसकी पुष्टि हेतु सहखातेदारान की उपस्थिति में फर्द मौका तैयार किया गया। प्रार्थना–पत्र में आवेदित शुद्धि / तथ्यों की जांच पेनकार्ड (जिसमें पिता का नाम शफी व [illegible] नाम मैना दर्ज है, विरासतन नामान्तरण में भी सफी मोहम्मद की पत्नी का नाम मैना [illegible] [illegible] खाता नकल (जिसमें वादिनी के पते में उसके पिता शफी [illegible] [illegible] प्रमाण–पत्र (जिसमें वादिनी के पिता का नाम सफी व [illegible] [illegible]), जनआधार (इसमें भी वादिनी के पिता का नाम सफी मो. व माता का नाम मैना दर्ज है) [illegible] जांच की गई। सभी जांच दस्तावेज संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

प्रकरण की मजमें आम में शुद्धि संबंध में मौत वीरानों के समक्ष जांच पड़ताल कर फर्द मौका तैयार किया है। फर्द मौका : उक्त प्रकरण में वादिनी के पैतृक घर मोहल्ला में पहुंचकर मौतबीरान व सहखातेदारना से पूछताछ की गई। इस खाते के सहखातेदार लालमोहम्मद पुत्र कमरूदीन जो कि वादिनी के चाचा है ने बताया कि वादिनी नजमा व खातेदार मदीना बानो पुत्री सफी मोहम्मद एक ही महिला है। इस बाबत घर—पड़ौसियों से भी पूछताछ की गई, जिन्होनें भी यही बताया कि नजमा पुत्री सफी मोहम्मद को ही बचपन में मदीना बानो नाम से पुकारा जाता था। वादिनी के चाचा ने इस बाबत वादिनी के पेनकार्ड, जनआधार कार्ड, पासपोर्ट आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। इन दस्तावेजों में वादिनी नजमा के पिता का नाम सफी/सफी मो. दर्ज है एवं माता का नाम मैना दर्ज पाया गया। समस्त दस्तावेजों की फोटोप्रति ली गई। उपस्थित मौतवीरानों ने बताया कि सफी मो. के तीन सन्तानें थे। जिनमें आरिफ फौत हो चुका है व उनकी दोनों बेटियां बानो उर्फ बलकेश बानो और नजमा उर्फ मदना बानो जीवित है। उपस्थित सभी ने नजमा व मदीना बानो दोनों नाम एक ही महिला सफी मोहम्मद व मैना की जुड़ी बताया है। अधिवक्ता वादी ने सहखातेदारों का नाम दुरूस्ती किये जाने सहमति—पत्र प्रस्तुत किया यदि नाम दुरूस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

8. आज प्रकरण निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक अंतिम चौसाला आधार संवत 2071—2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 425/0.3794 हैक्ट. व 432/5.3115 हैक्ट. हिस्सा 1/6 वाके ग्राम चूरू पटवार मण्डल चूरू में वादिया का नाम मदीनाबानो पुत्री सफीमोहम्मद खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का चूरू के अनुसार मदीनाबानो पुत्री सफीमोहम्मद व नजमा पुत्री सफीमोहम्मद एक ही व्यक्ति होना अंकित है। प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात जन्म प्रमाण—पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम नजमा पुत्री सफीमोहम्मद दर्ज है। वादिया द्वारा जमाबन्दी में नाम मदीनाबानो पुत्री सफीमोहम्मद को शुद्ध नहीं बताया गया। प्रार्थना पत्र में उक्त नाम संशोधन कर मदीनाबानो पुत्री सफीमोहम्मद के बजाय दस्तावेजों के अनुसार नजमा पुत्री सफीमोहम्मद शुद्ध करवाना चाहा गया है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादिया को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादिया वादगत कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिए उसे राजस्व रिकार्ड में अपने गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादिया का नाम दुरूस्त किये जाने से भूमिधारी राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादिया द्वारा पेश दस्तावेजों, शपथ—पत्र व सहखातेदारों की सहमति—पत्र से दावा उसके पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः वादी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः वादिया के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादिया का दावा, अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादिया का दावा अन्तर्गत [illegible] राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 [illegible] 2071—2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से [illegible] 425/0.3794 हैक्ट. व 432/5.3115 हैक्ट. हिस्सा 1/6 वाके ग्राम चूरू [illegible] चूरू, अन्य दस्तावेज व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादिया की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज मदीनाबानो पुत्री सफीमोहम्मद को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेजात नजमा पुत्री सफीमोहम्मद का अंकन करने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:27:48 IST
Reason: SelfAttested